

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

अलवर

बनाम

सरकार

नम्बर 15/20/20 सन् 2020

नाम अदालत जिला कलक्टर
 उनवान विशम्भर दयाल
 किसम मुकदमा प्रार्थना पत्र रिब्यू

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.11.00	<p>आज यह पत्रावली दिनांक 17.11.20 का अवकाश घोषित होने पर वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन पेश कर निवेदन किया है कि विशम्भर दयाल बनाम सरकार का निर्णय दिनांक 30.12.2019 को किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना पैमाइश किए बिना जाँच पडताल किए अपीलान्ट के विरुद्ध तहत अदालत को गलत रिपोर्ट पेश कर दी गई। विवादित रास्ते के बावत अप्रैल 2019 में तहत अदालत द्वारा आराजी खसरा नम्बर 520 की बावत जो रिपोर्ट मौके की बनाई है उसमें किसी प्रकार का अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं बताया है। तहत अदालत द्वारा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही की है। अपीलान्ट की ओर से तहरीर मेजरनामा व प्रतिष्ठित व्यक्ति वार्ड पंच रतिराम पुत्र भोलाराम अहीर ग्राम पंचायत बिरामपुर निवासी असीलमपुर संरपच अशोक कुमार ग्राम पंचायत बिरामपुर व हाल पंचायत समिति सदस्य विजेन्द्र यादव पुत्र बलवन्त सिंह अहीर वार्ड नम्बर 8 निवासी सरकनपुर के शपथ पत्र दिनांक 22.1.2020 पेश किए हैं, के आधार पर निर्णय न कर कार्यवाही झोप कर, कृपया प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन स्वीकार कर उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 30.10.19 का पुनरावलोकन कर निरस्त फरमावे एवं शपथ पत्र के अनुसार अपील स्वीकार कर अदालत का आदेश निरस्त किया जावें।</p> <p>हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.19 का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के अनुसार गैर मुमकिन आराजी पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर पुराना कब्जा प्रमाणित होने के कारण औलच्य आदेश पारित किया गया है, वह कानूनी दृष्टि से निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन पर विचार कर निर्णय पारित करना उचित नहीं समझते हैं।</p> <p>प्रार्थना पत्र रिब्यू अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.12.19 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



Am.
 जिला कलक्टर
 अलवर (राज.)